न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 94/2021 बउनवानी अवधेश शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
सामाजिक कार्यकर्ता, नि0 नकटया का जगरा, गणेश पीपली शहर,स0मा0

GCMS No-2021/287

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
24.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 2.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. विगत शर्दीयो के दिनों सन्2020 मे शनि मंदिर हाउसिंग बोर्ड रोड़ के पास वाली विवादित जमीन ख0न0 1092 का जिला प्रशासन जिसमे तहसील व उपजिला कलेक्टर कार्यालय व अन्य कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे ने मौका मुआईना किया था उस मौका मुआवना रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति चाहिए।
2. ख0न0 1092 की 91 की पत्रावली की एक प्रमाणित प्रति दे।
3. ख0न0 1092 वास्ते ग्राम आलनपुर का राजस्व रिकार्ड की एक प्रमाणित फोटो कोपी चाहिए।
4. ख0न0 1092 की 90 ए व 90बी के आदेश की एक प्रमाणित फोटोकॉपी दे।
5. जिला कलेक्टर या उपजिला कलेक्टर द्वारा इस भूमि के संबंध में कोई आदेश पत्र किसी भी तरह का जारी किया हो तो उस पत्र की एक प्रमाणित प्रति।
6. 91 की कार्यवाही की 1092 खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुरको तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः राजस्व/आरटीआई,2005/2021/2478 दिनांक 16.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2021 में चाही गयी सूचना का संबंध तहसील कार्यालय से होने के कारण उपजिला कलेक्टर के पत्रांक 1372 दिनांक 1.10.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया जाने पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 6432 दिनांक 5.10.2021 से अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना भिजवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दु संख्या 3 लगायत 6 के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। को के कम में उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2589 दिनांक 23.9.2021 से अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से सूचित किया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने [illegible] मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक [illegible] को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलान्ट को भिजवा[illegible] शेष बिन्दुओं की सूचना कार्यालय रिकार्ड पर संधारित नही होने एवं प्रश्नात्मक [illegible] जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 6432 दिनांक 5.10.2021 से अपील[illegible] अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1 व 2 की ([illegible]ष्ठ की) सूचना अपीला[illegible] उपलब्ध करवायी जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या 3 लगायत 6 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने तथा सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested